अनुसूची–14 फारम सं0 563

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय–समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद सं0–RM- 77 / 2010–11

रामदयाल राम एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश

3.3.12

यह अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा **CWJC No.** 666 / 2011 में पारित आदेश के आलोक में रामदयाल राम एवं 16 अन्य, सभी निवासी विशम्भरपुर, थाना भैरोगंज, अंचल बगहा–1, जिला पश्चिम चम्पारण के द्वारा दायर किया गया है। अपीलार्थियों का कथन है कि सीलिंग वाद संख्या 33 / 41 / 75–76 राज बनाम विश्वनाथ प्रसाद में वर्ष 1983 में वाद के निष्पादन के उपरांत अधिशेष घोषित भूमि पर सभी 17 अपीलकर्त्ताओं को अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के द्वारा जमीन का पर्चा निर्गत किया गया। पर्चा वाले जमीन से उन्हें जबरदस्ती बेदखल करने के प्रयास के विरूद्ध अपीलकर्त्ताओं के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में **CWJC No.** 666 / 2011 दायर किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समाहर्त्ता न्यायालय में आवेदन जमा करने का निर्देश दिया गया था।

उपरोक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा से प्रतिवेदन की मांग की गयी है। वाद की सुनवाई के क्रम में यह पाया गया कि अपीलकर्त्ताओं के द्वारा मात्र पदाधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है। मूल भूहदबंदी वाद के भूधारी को इस अपील में प्रतिवादी नामित नहीं किया गया है। भूधारी रामेश्वर प्रसाद, पिता विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा इंटरविनर के रूप में अपने पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकृत करते हुए उनको अपने पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजातों का अध्ययन किया। अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के न्यायालय के सीलिंग वाद संख्या 33 / 41 / 75–76 के मूल अभिलेख का अध्ययन किया तथा अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगहा के पत्रांक 411 / न्यायालय, दिनांक 09.05.2011 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन का अध्ययन किया। उपलब्ध तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित बिंदु स्पष्ट है :–

अनुसूची–14 फारम सं0 563

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	1. अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के द्वारा वाद संख्या 33/41/75–76 को सुनकर 1983 में निष्पादित किया गया तथा 47.01 एकड़ भूमि को अधिशेष घोषित किया गया। 2. अधिशेष घोषित जमीन में से वर्तमान अपीलार्थी–गण कुल 17 व्यक्तियों के नाम पर ग्राम विशम्भरपुर में जमीन आवंटित करते हुए पर्चा निर्गत किया गया। 3. भूधारी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निष्पादित वाद के विरूद्ध समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, राजस्व पर्षद, बिहार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न वाद दायर किया गया है तथा अंत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 1450/1988 दायर किया गया। उक्त वाद को दिनांक 18.04.1988 को निष्पादित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के द्वारा पुनः सुनवाई कर अंतिम रूप से वाद को निष्पादित किया गया है। अंतिम रूप से निष्पादनोपरांत मात्र 1.58 एकड़ जमीन ग्राम सिंघाड़ी, अंचल बगहा–1 में अधिशेष पाया गया है तथा उक्त अधिशेष जमीन को भूमिहीनों के बीच वितरित किया गया है। 4. इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के द्वारा अंतिम रूप से निष्पादन के पश्चात् ग्राम विशम्भरपुर में जमीन अधिशेष घोषित नहीं किया गया। ग्राम विशम्भरपुर के जमीन को वाद के निष्पादन के उपरांत प्रेम किशोर एवं रामेश्वर प्रसाद जो भूधारी हैं को आवंटित किया गया है। 5. अपीलार्थीगण कुल 17 व्यक्ति ग्राम विशम्भरपुर में 1983 में अधिशेष घोषित होने के आधार पर निर्गत किया गया पर्चा के आधार पर जमीन का दावा करते हैं परंतु अंतिम निष्पादन के उपरांत ग्राम विशम्भरपुर में कोई जमीन अधिशेष घोषित नहीं किया गया है। जिस जमीन पर अपीलार्थीगण दावा करता है वह जमीन सिलिंग वाद के निष्पादन के उपरांत श्री प्रेम किशोर एवं श्री रामेश्वर प्रसाद को आवंटित है। 6. अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के प्रतिवेदन पत्रांक 411, दिनांक 09.05.	

अनुसूची--14 फारम सं0 563

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

2011 के साथ संलग्न कागजातों से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, बगहा–1 के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित है कि अपीलार्थी–गण को निर्गत किए गए पर्चा के आधार पर जमीन पर उनका दखल कब्जा नहीं है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित है कि सीलिंग वाद के अंतिम रूप से निष्पादनोपरांत वर्ष 1983 में निर्गत पर्चा को रद्द करने हेतु अंचल अधिकारी, बगहा–1 के द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

7. इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को पर्चा की जमीन पर दखल कब्जा नहीं दिलाया गया है तथा अपीलार्थियों को निर्गत की गयी पर्चा की जमीन अधिशेष घोषित नहीं है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा एवं अन्य के द्वारा उन्हें बेदखल करने के प्रयास का दावा प्रमाणित नहीं होता है। अतः अपीलार्थीगण के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही वर्ष 1983 में निर्गत पर्चा अंतर्गत चिन्हित जमीन अधिशेष नहीं होनें के कारण पूर्व में निर्गत पर्चाओं को विधिवत् रूप से प्रक्रिया का पालन करते हुए रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा एवं अंचल अधिकारी, बगहा–1 को दिया जाता है।

3/3/12

समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

3/3/12

समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

380
7/3/12